

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

शैत्यनारायण पुत्र बद्दीलाल एवं दत्तक पुत्र घीसा लाल गुर्जर निवासी ढगारिया
बनाम

बन्ना लाल गुर्जर पुत्र छोटू लाल गुर्जर निवासी ढगारिया, वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 302/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की लागू में जारी हुये
13/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम ढगारिया प.ह. टिठोडी आराजी सं307/4, 333/307,304 कुल किता 3 रकबा 10.1088 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम ढगारिया प.ह. टिठोडी आराजी सं307/4, 333/307,304 कुल किता 3 रकबा 10.1088 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बावडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 1000 रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 13/05/2024

क्रमांक/रीडर/2024/2024/303

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं./2024 अनवान सत्यनारायण पुत्र बद्रीलाल एवं दत्तक पुत्र घीसा लाल गुर्जर निवासी ढगारिया बनाम बन्ना लाल गुर्जर पुत्र छोटू लाल गुर्जर निवासी ढगारिया, बदी लाल गुर्जर पुत्र छोटू लाल गुर्जर निवासी ढगारिया, चन्द्रकला पत्नी प्रेमराज जाट निवासी भोपालपुरा, सुमन पत्नी भंवर लाल जाट निवासी भोपालपुरा, रामप्रसाद पुत्र श्रीकिशन जाट निवासी भोपालपुरा, मुकेश पुत्र नेमीचन्द जैन निवासी बिहाडा, मनीष पुत्र नेमीचन्द जैन निवासी बिहाडा, गीता पत्नी सत्यनारायण जाट निवासी भोपालपुरा, समता उर्फ महावीर पत्नी महावीर जाट निवासी भोपालपुरा, मौसमी पुत्री रामकरण मीणा निवासी ढगारिया, सरजू पत्नी रामकरण मीणा निवासी ढगारिया, भंवरलाल पुत्र रामकरण मीणा निवासी ढगारिया, अर्जुन पुत्र रामकरण मीणा निवासी ढगारिया की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम ढगारिया प.ह. टिठोडी आराजी स 307/4, 333/307,304 कुल किता 3 रकबा 10.1088 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बावडी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 10000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 1000 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा